राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(35) ग्रावि/PMAY-G/निःशुल्क भूखण्ड/2016/पार्ट I जयपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2019

जिला कलक्टर
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत पात्रताधारी भूमिहीन लाभार्थियों को आवासीय भू–खण्ड आवंटन के क्रम में।

प्रसंग :– शासन सचिव एवं आयुक्त, पंराज के पत्र क्रमांक F 4 (63) प्रगतिपट्टा/विधि/पंरा/2017/61 दिनांक 16.1.19 एवं विभागीय पत्र दिनांक 18.04.2017,28.04.17, 08.05.2018, 28.09.18, 11.1.19, 24.01.19 व 06.02.2019।

महोदय,

योजना के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के बिन्दु संख्या 5.2.2 में ''भूमिहीन लाभार्थियों के मामले में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि से जमीन उपलब्ध करायी जायेगी'' का प्रावधान है। योजना के दिशा–निर्देशानुसार वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी करने का प्रावधान है एवं भूमिहीन/आवासहीन परिवारों को वरीयता सूची में प्रथम वरीयता क्रम में रखा गया है।

उक्त संबंध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग के प्रासंगिक पत्र 61 दिनांक 16.1.19 द्वारा जिलों को विशेष अभियान चला कर योजना के सभी पात्र परिवारों को नियमानुसार आबादी में भूमि में पट्टे उपलब्ध कराने एवं भूमि उपलब्ध नहीं होतो आबादी विस्तार हेतु भूमि सेट – अपार्ट करने के प्रस्ताव तैयार कर आवंटन की कार्यवाही दिनांक 28.2.19 तक आवश्यक रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिलो से प्राप्त सूचना अनुसार योजना की वरीयता सूची में शामिल 55,405 भूमिहीन पात्र परिवारों में से 25,220 (46%) परिवारों को ही पट्टे आवंटित किये गये है अर्थात् अभी भी 30,185 (54%) भूमिहीन पात्र परिवारों को आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी इसे गंभीरता से लिया जाकर शीघ्र–अतिशीघ्र भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः प्रासांगिक पत्र दिनांक 16.01.19 के क्रम में दिनांक 28.02.2019 तक आयोजित विशेष अभियान के दौरान योजना के शत प्रतिशत भूमिहीन पात्र परिवारों को भूखण्ड आवंटित कराकर विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।

स्टेट नोडल अधिकारी, (PMAY-G)

C:\Users\Parag s\Desktop\Nahar SI\MS Word\Landless beneficiary.docx